मध्यप्रदेश विधान सभा

सितम्बर, 1992 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर, 1992 (भाद्र 13, 1914)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिए जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्यमंत्री कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त का (दिनांक 1-4-88 से 31-3-89 तक) की अवधि का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्यमंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार -

(क) रायगढ़ जांच आयोग जिला रायगढ़, मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन दिनांक 26 जून, 1990, द्वारा न्यायमूर्ति श्री के.एन. शुक्ला, सेवानिवृत्त न्यायधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (शासन के संकल्प सहित),

(ख) सारणी जांच आयोग, जिला बैतूल मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन दिनांक 22 सितम्बर, 1990, द्वारा श्री आर. सी. चन्देल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल (शासन के संकल्प सहित),

(ग) मलाजखण्ड जांच आयोग जिला बालाघाट मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन दिनांक 7 जुलाई, 1990 द्वारा श्री के.के. वर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (शासन के संकल्प सहित), तथा

(घ) छतरपुर (प्रकाश बम्होरी) जांच आयोग, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन दिनांक 27 मई, 1991 द्वारा श्री डी.आर. पुण्डलीक, सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (शासन के संकल्प सहित) पटल पर रखेंगे.

(4) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (दिनांक 31 मार्च, 1990) पटल पर रखेंगे.

(5) डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 (क्रमांक 36 सन् 1982) की धारा 44 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचनायें क्रमांक एफ-15 (4) 1989- उनन्चास-10, दिनांक 10 जनवरी 1992 एवं क्रमांक एफ-15 (4) 89 उनन्चास-10, दिनांक 1 जुलाई, 1992 के द्वारा प्रकाशित किये गये मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (भावी उपभोक्ताओं को प्रमाण-पत्र का मंजूर किया जाना) नियम 1992 एवं संशोधन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, छतरपुर जिले में अति वर्षा से हुई क्षति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा/गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ग्वालियर एवं मुरैना की शक्कर मिलों द्वारा कृषकों की लंबित राशि का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री प्रेम सिंह दत्तीगांव, सदस्य, धार जिले के बदनावर विधान सभा क्षेत्र में आदिवासियों की हुई हत्या की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में दूध के संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री डेयरी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री नन्दकुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले की सपनई व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर का कुछ हिस्सा टूटने से फसलों की हुई क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.